S# 0363298 अधिवक्ता कल्याण कोष

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

## रे०मि० अपील वाद सं० 46/2021–22

**बलदेव रजक.............................................................अपीलकर्त्ता**

**बनाम**

**अर्चना देवी एवं अन्य..................................................उत्तरकारी**

## आदेश

18.02.2022

यह रे०मि० अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–06/1996–97 में पारित आदेश दिनांक–08.03.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दिया गया Review आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

**अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–**

1. मौजा–तेलियाचक थाना–काठीकुण्ड के दाग सं०–229 के रकवा 05 कट्ठा जमीन से उत्तरकारी सं० 03 कालो मंडल को उच्छेद करने हेतु उत्तरकारी सं०–1 के माता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आर०ई० वाद सं०–06/1996–97 दायर किया गया था, जिसमें प्रश्नगत दाग से उत्तरकारी सं०–3 को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश दिनांक–31.12.1999 द्वारा उच्छेद किया गया।

2. इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे०मि० अपील वाद सं०–53/1999–2000 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–18.06.2008 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया गया कि प्रश्नगत उक्त दाग की जमीन की मुआवजा राशि वसौड़ी की दर से उत्तरकारी सं०–1 को भुगतान करने अथवा उसी जमीन के समतुल्य अन्य जमीन बदले में देने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

3. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला अवर निबंधक दुमका से उपरोक्त जमीन के वर्त्तमान दर के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई।

4. इसी बीच अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया कि प्रश्नगत दाग सं0–229 उन्हें दाग सं0–11 के बदले में, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के बदलैन वाद सं0–130/1937–38 में प्राप्त हो चुकी है। दाग सं0–11 को "खादी ग्राम उद्योग" द्वारा L.A Case No 39/1997-98 में अधिग्रहित किया जा चुका है। उक्त जमीन का मुआवजा भी उत्तरकारी सं0–01 द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति पुनः दाग सं0–229 का मुआवजा उत्तरकारी सं0–1 द्वारा प्राप्त किया जाना गलत है।

उनके द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक–31.12.1999 को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–60 के अन्तर्गत पुर्नसमीक्षा (Review) करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता Review आवेदन कर अस्वीकृत किया गया।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

## प्रावधान

**संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–60 के अन्तर्गत Review के संबंध में निम्न प्रकार उल्लेख है :–**

**(1)** The Commissioner may, for sufficient reasons to be recorded in writing, review any order which has been passed by himself or a predecessor in exercise of any power conferred by this Act.

**(2)** An officer subordinate to the Commissioner shall not review any order made by him or by a predecessor, except for the purpose of correcting a clerical error or, manifestly the result of an oversight, without previously obtaining,-

**(a)** in the case of a Deputy Collector or a Sub-divisional Officer, the permission of the Deputy Commissioner, and

**(b)** in the case of the Deputy Commissioner or the Additional Deputy Commissioner, the permission of the Commissioner.

## निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा पूर्व में न तो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में और न तो उपायुक्त के न्यायालय में ही किसी प्रकार का दावा/आपत्ति दाखिल किया गया है। उनके द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश दिनांक–31.12.99 अथवा उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.06.2008 को चुनौती नहीं दिया गया है। उसके विरूद्ध पारित आदेश पर कोई अपील भी दाखिल नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त के आदेश के अनुपालन में यह आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है।

## आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:27:14 +05:30
Location: 169.254.227.244